

दिनांक 01.03.2013 को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस हेतु वर्ष 2012-13 की उपलब्धियाँ

नगर निकायों की आधारभूत संरचनाएँ एवं सेवाएँ किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्नत नगर राज्य के आर्थिक विकास का पैमाना होते हैं। नगरों, शहरों एवं कस्बों की सुदृढ़ बुनियादी आधारभूत संरचनाएँ एवं सेवाएँ शहरों के सौन्दर्यीकरण में अभिवृद्धि करती हैं। विकसित शहरी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाकर आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तन का कारक बनती है। इसके लिए आवश्यक है कि नगरों का योजनाबद्ध तरीके से विकास हो तथा विकास के सभी कारकों को एक साथ मिलाकर उनका कार्यान्वयन कराया जाय।

राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए सतत एवं निरन्तर प्रयत्नशील है। बिहार में शहरीकरण देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम है। बिहार की कुल आबादी का लगभग 11 प्रतिशत ही शहरों में निवास करता है। पिछले चार वर्षों में शहरों को सुंदर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयत्न किये गए हैं तथा शहरों के बहुआयामी विकास के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में नगर निकायों का चुनाव माह मई 2012 में कराया जा चुका है। इस प्रकार नगर निकायों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

राज्य योजना :-

1. **जलापूर्ति** - नगर निकायों में स्वच्छ जल की आपूर्ति करना विभाग का लक्ष्य रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में पेयजलापूर्ति की समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 2667.00 लाख के बजट उपबंध के अनुरूप राशि खर्च की गई है।
2. **नाला निर्माण** - नगर निकायों के अन्तर्गत गन्दे पानी के निष्कासन हेतु नाला निर्माण की योजना विभाग के स्तर से चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत मलिन बस्तियों एवं कस्बों को भी शामिल किया गया है। विभिन्न नगर निकायों में नाला निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल ₹ 1890.00 लाख के बजट उपबंध के अनुरूप राशि खर्च की गई है।
3. **नागरिक सुविधा** - विभिन्न नगर निकायों में तालाब/नदी घाट निर्माण/जीर्णोद्धार, पार्क निर्माण आदि योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस योजना के तहत कुल उपबधित ₹ 5070.00 लाख बजट उपबंध के अनुरूप राशि खर्च की गई है।
4. **पथ निर्माण** - विभिन्न नगर निकायों में नये पी0सी0सी0 पथों के निर्माण/जर्जर पथों के निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल उपबधित ₹ 4887.00 लाख बजट उपबंध के अनुरूप राशि खर्च की गई है।
5. **मुख्यमंत्री नगर विकास योजना** - इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल उपबधित ₹ 14060.00 लाख आवंटित किया गया है।
6. **निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता** - विभिन्न नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 160.00 लाख उपबधित राशि में से लगभग ₹ 145.94600 लाख आवंटित किया जा चुका है।
7. **नगर परिषद एवं नगर पंचायतों का प्रशासनिक भवन निर्माण** - विभिन्न नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 847.50 लाख का पुनर्विनियोग के द्वारा प्राप्त राशि खर्च की गई है।

8. **गैर योजना** - वित्तीय वर्ष 2012-13 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कुल 26477.00 लाख तथा 13वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ₹ 15500.00 लाख व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कुल ₹ 32500.00 लाख तथा 13वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ₹ 15492.00 लाख व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

केन्द्र प्रायोजित योजना :-

1. **IHSDP : (समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम) :-** IHSDP में सभी 28 शहरों में 32 परियोजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत हैं। 31 परियोजनाओं की राशि भी भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी है। इसमें से 15 शहरों की परियोजनाओं पर प्रथम चरण में काम हो रहा है जो लगभग पूर्ण हो चुका है। अन्य 15 शहरों में शीघ्र कार्य शुरू होने वाला है जो निम्नवत है:-

क्र० सं०	शहर का नाम	परियोजना लागत	इकाई आवास (स्वीकृत)
1	नगर परिषद बाढ़	₹ 3466.46 लाख	1154 इकाई
2	नगर परिषद किशनगंज फेज-2	₹ 3055.16 लाख	1255 इकाई
3	नगर परिषद जमुई	₹ 2530.18 लाख	960 इकाई
4	नगर परिषद फारबिसगंज	₹ 2152.81 लाख	870 इकाई
5	नगर निगम मुंगेर	₹ 2019.02 लाख	784 इकाई
6	नगर परिषद अररिया	₹ 2126.28 लाख	728 इकाई
7	नगर परिषद मधेपुरा फेज-2	₹ 232.44 लाख	776 इकाई
8	नगर परिषद सहरसा	₹ 1932.58 लाख	820 इकाई
9	नगर परिषद बाढ़ फेज-2	₹ 2029.64 लाख	500 इकाई
10	नगर पंचायत बेलसन्द	₹ 5054.55 लाख	1487 इकाई
11	नगर परिषद मोकामा	₹ 6954.23 लाख	1950 इकाई
12	नगर पंचायत नवीनगर	₹ 4366.91 लाख	1277 इकाई
13	नगर निगम पूर्णिया फेज-2	₹ 5086.74 लाख	1615 इकाई
14	नगर पंचायत नौबतपुर	₹ 4907.37 लाख	1500 इकाई
15	नगर पंचायत ठाकुरगंज	₹ 4204.15 लाख	1323 इकाई

उपर्युक्त योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी हिन्दुस्तान प्रीफैब लि० (HPL) एवं बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि० (BUIDCO) है। HPL द्वारा 3405 आवासीय यूनिट का निर्माण कार्य किया जा रहा है और अब तक पूर्णतः निर्मित आवासों की संख्या 2690 है। उक्त आवास निर्माण पर अद्यतन व्यय ₹ 8189.00 लाख व्यय किया गया है।

2. **BSUP: (शहरी गरीबों के लिए आवासीय योजना) :-** पटना एग्लोमेरेशन एरिया (पटना नगर निगम, खगौल, फुलवारीशरीफ, दानापुर) के लिए स्वीकृत परियोजना लागत ₹ 65541.36 लाख एवं स्वीकृत आवास 20,372 इकाई है। बोधगया शहर के लिए कुल स्वीकृत परियोजना लागत ₹ 5457.08 लाख बोधगया के लिए स्वीकृत आवास 2,000 इकाई है। पटना शहर में अबतक चार स्थानों पर पूर्ण निर्मित आवास की संख्या 384 इकाई है। इसके निर्माण कार्य पर अबतक ₹ 1257.233 लाख व्यय हुआ है।

3. **UIG: (Urban Infrastructure & Governance) :-** JnNURM योजना के अंतर्गत चयनित मिशन शहरों में आधारभूत संरचना योजना के अधीन कुल-10 परियोजना की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें केन्द्र एवं राज्य की सहभागिता पटना शहर के लिए 50:50 एवं बोधगया शहर के लिए 80:20 का अनुपात है। कुल 10 योजनाओं का परियोजना लागत ₹ 75846.71 लाख (सात अरब अन्दावन करोड़ छियालीस लाख एकहत्तर हजार रू० मात्र) है। इसमें मुख्य योजना पटना शहर में जलापूर्ति, ठोस कचड़ा प्रबंधन है। अन्य योजना में दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ एवं बोधगया में जलापूर्ति है। बोधगया

शहर में नाला निर्माण की योजना भी ली गई है। अबतक 06 योजनाओं का कार्य लगभग 60% पूर्ण हो चुका है। पटना एवं बोधगया में सिटी बस परिचालन के कार्यान्वयन पर कार्रवाई की जा रही है।

4. **UIG- E-Municipality** - यह एक महात्वाकांक्षी योजना है, जिसे राज्य के सभी 141 नगर निकायों में लागू करने की कार्रवाई की जा रही है। परियोजना की कुल स्वीकृत व्यय ₹ 4849.54 लाख है। इस योजना की कार्यान्वयन अवधि 5 वर्ष है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस मद में पटना शहर के लिए केन्द्राश की राशि ₹ 171.19 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख उन्नीस हजार ₹० मात्र) प्राप्त हो चुकी है। इसके अंतर्गत कर वसूली, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, भवन योजना की स्वीकृति, जन शिकायत, विज्ञापन इत्यादि का कार्य आच्छादित होगा।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में JnNURM के अंतर्गत नई योजनाओं के स्वीकृति की संभावना है, जिसके द्वारा कई शहरों का विकास होगा।

5. **UIDSSMT (Urban Infrastructure Development of Small & Medium Towns)** :-

जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (JnNURM) अंतर्गत छोटे एवं मध्यम शहरों की आधारभूत संरचना विकास योजना (UIDSSMT) योजना के अधीन छोटे एवं मध्यम शहरों में आधारभूत संरचना संबंधी कुल 11 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसमें केन्द्र एवं राज्य की सहभागिता का अनुपात 80:20 है। कुल 11 योजनाओं का परियोजना लागत ₹ 26113.56 लाख (दो अरब इकसठ करोड़ तेरह लाख छप्पन हजार ₹० मात्र) है, जिसके विरुद्ध 09 शहरों यथा- फतुहा, मुरलीगंज, नरकटियागंज, रोसड़ा, बरबीघा, भमुआ, बख्तियारपुर, लालगंज एवं चकिया में रोड-सह-नाला निर्माण मद में ₹ 15257.32 लाख (एक अरब बावन करोड़ सन्तावन लाख बत्तीस हजार ₹० मात्र) एवं मुजफ्फरपुर शहर में जलापूर्ति हेतु ₹ 9872.25 लाख (अन्दावन करोड़ बहत्तर लाख पच्चीस हजार ₹० मात्र) तथा आरा शहर में टोष अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ₹ 983.99 लाख (नौ करोड़ तिरासी लाख नानावे हजार ₹० मात्र) कर्णांकित है।

इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल राशि ₹ 974.294 लाख (नौ करोड़ चौहत्तर लाख उन्तीस हजार ₹० मात्र) का व्यय हुआ है तथा इस योजना पर अबतक कुल व्यय ₹ 7744.35 लाख (सतहत्तर करोड़ चौवालीस लाख पैंतीस हजार ₹० मात्र) हुआ है।

6. **NGRBA: (राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकार)** :- भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्मांकित 4 शहरों की परियोजना स्वीकृत हुई है। हाजीपुर, बेगुसराय, बक्सर, मुंगेर के लिए कुल राशि ₹ 44186.00 लाख (चार अरब एकतालीस करोड़ छियासी लाख ₹० मात्र) का योजना स्वीकृत किया गया है, जिसमें से भारत सरकार द्वारा ₹ 3537 लाख (पैंतीस करोड़ सैंतीस लाख ₹० मात्र) प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त किया गया है एवं राज्याश के प्रथम किस्त के रूप में ₹ 1515.85 लाख (पन्द्रह करोड़ पन्द्रह लाख पचासी हजार ₹० मात्र) राज्य सरकार द्वारा विमुक्त किया गया। सम्प्रति इस योजना पर ₹ 4479.00 लाख (चौवालीस करोड़ उन्नासी लाख ₹० मात्र) व्यय हो चुका है। यह कार्य बुडको (बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०) के द्वारा कराया जा रहा है। इस योजना में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की भागीदारी 70:30 की है। इसके अतिरिक्त पटना में गंगा नदी तट विकास योजना की विश्व बैंक के सहयोग से भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसके तहत पटना स्थित 20 गंगा घाटों का निर्माण कराये जायेंगे। इस योजना के कार्यान्वित होने पर गंगा घाट साफ-सुथरे होंगे तथा गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने में मदद मिलेगी।

7. **स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)**- दिनांक 01.04.2009 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) का संशोधित दिशा निर्देश भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) आयोग

द्वारा समय-समय पर परिभाषित बी0पी0एल0 के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए है। मूल रूप में यह योजना शहरी गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, इसके पाँच घटक हैं, जो निम्नवत हैं:-

- (i) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (Urban Self Employment Programme) (USEP)
- (ii) शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम (Urban Woman Self Help Programme) (UWSHP)
- (iii) शहरी गरीबों को रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण (Skill Training for Employment Promotion amongst Urban Poor) (STEP UP)
- (iv) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (Urban Wage Employment Programme) (UWEP)
- (v) शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (Urban Community Development Network) (UCDN)

इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषण केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में राष्ट्र /राज्य स्तर की संस्थाओं से निम्नांकित 17 ट्रेडों में कुल 65 सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा 34500 लाभुकों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण अंतिम चरण में है। 17 ट्रेड की सूची निम्न प्रकार है:-

- (1) Computer Software- Tally, Photo Shop, Coral Draw, DTP offset, Digital Banner Designing
- (2) Multimedia-advanced 3D animation, Production and web designing
- (3) Fashion Designing- Tailoring, embroidery, painting
- (4) Stenography and Office administration
- (5) Lab Technical
- (6) Home Care Nursing Assistants
- (7) Business Processing and Outsourcing (BPO)
- (8) Lathe Operation
- (9) Spoken English
- (10) Driving
- (11) Food processing
- (12) Security Guards
- (13) Waiters and Bar Attendant,
- (14) Housekeeping
- (15) Beautician
- (16) Shop Floor Assistants (Retail)
- (17) Plumber, Fitter, Turner, Welding.

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी0पी0एल0 के लाभुकों के प्रशिक्षण हेतु नये विज्ञान प्रकाशित करने की तैयारी की जा रही है।

8. शहरी क्षेत्रों में सुधार हेतु सहायता कार्यक्रम (SPUR) - प्रदेश में शहरीकरण की बढ़ती गति व समावित स्थिति का आकलन करते हुए विभाग द्वारा कुछ प्रमुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं - ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, पाईप, जलापूर्ति, मलिन बस्तियों का विकास, स्ट्रीट लाईट, यातायात का प्रबंधन, शहरी नागरिकों व निकायों हेतु विधायी प्रक्रिया का निर्धारण तथा नियमावली बनाना, नागरिक सुविधाओं का विकास आदि।

DFID की सहायता से राज्य में शहरी निकायों के क्षमतावर्द्धन के लिए **Support Programme for Urban Reform** प्रारंभ किया गया है, जो 6 वर्षों तक जारी रहेगा। संबंधित विषयक 60 मिलियन पाँड का बजट स्वीकृत है जिसमें से 45 मिलियन पाँड (360 करोड़ रु०) आर्थिक सहयोग तथा 15 मिलियन पाँड (120 करोड़ रु०) तकनीकी सहायता के लिए उपलब्ध है। यह परियोजना 28 शहरी क्षेत्रों को आच्छादित करेगी तथा इसके अतिरिक्त 10 नगर निगमों में भी कार्य करेगी। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य भी किए जा रहे हैं:-

- परियोजना के शहरों में सफाई बनाए रखने में सहायता हेतु 27 JCBs मशीन प्रदान किये गए हैं।
- एक "केन्द्रीकृत शिकायत निवारण सेल" की शुरुआत की गयी है। नगर सेवा हेल्पलाइन (0612-3095555) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई जा रहे विभिन्न प्रकार के सेवाओं के बारे में शिकायतों को दर्ज करने के लिए

एक मंच होगा। इस सेल के माध्यम से कॉल को पंजीकृत किया जाएगा, एक अद्वितीय संख्या प्रदान की जाएगी और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को सूचित किया जायेगा। हेल्पलाइन अधिकारी भी शहरी स्थानीय निकायों से शिकायत के समाधान की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी लेते रहेंगे।

- नगर सेवा हेल्पलाइन को परिचालित करने हेतु नागरिक अधिकार पत्र का शुभारंभ किया गया। यह नागरिक अधिकार पत्र नगर निकायों के कामकाज की क्षमता में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिकार पत्र शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित सेवा स्तर मानक के अनुरूप तैयार किया गया है। नगरपालिका सेवाओं के बारे में शिकायतों के निवारण के लिए समयसीमा वृद्धि मैट्रिक्स के साथ एक साथ परिभाषित किया गया है। प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण और निवारण के पैटर्न से नगरपालिका सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
- मंत्रिपरिषद द्वारा कई नियमों की पुष्टि की गयी है जो कि नगर विकास के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण है। हाल ही पुष्टि किये गए संपत्ति कर नियम कर संरचनाओं में 20 साल के बाद हुआ एक संशोधन है। ये नियम क्रांतिकारी है और यहां तक कि नगर पालिकाओं को कर भुगतान न करने की स्थिति में संपत्तियों को जब्त करने के लिए सशक्त बनाती है। इन दोनों नियमों को अगले वित्तीय वर्ष से लागू होना है और नगर निकायों के वित्त में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
- नागरिकों के लिए करों का भुगतान करने को आसान बनाने के लिए, संपत्ति कर का स्वमूल्यांकन भुगतान के विभिन्न विकल्पों के साथ शुरू किया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ नगर निकायों के विभिन्न करों एवं गैर-करों को देश में कहीं से भी प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑनलाइन भुगतान विकल्प भी उपलब्ध है।

- प्रस्तावित वित्तीय वर्ष, 2013-14 के लिए मुख्य कार्यक्रमलाप निम्नलिखित है –

1. गया और बोधगया में गोबाइल शौचालय का प्रावधान है।
2. 10 निगम शहरों में सीवर सफाई सह सक्शन मशीनों का प्रावधान है।
3. बुढ़को को 27 शहरी स्थानीय निकायों में सौर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम सौंपा जा रहा है।
4. एकुअल आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली, जो वर्तमान में सर्वधन परियोजना शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है, राज्य के सभी 141 शहरी स्थानीय निकायों को कवर करने के लिए बढ़ाया जा रहा है। सर्वधन 26 अतिरिक्त शहरों (राज्य में सभी परिषदों और निगमों को कवर करने के लिए) में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
5. ई-म्युनिसिपैलिटी परियोजना को हाल ही में राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को राज्य के सभी 141 शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया जायेगा जो इसे देश में ई-म्युनिसिपैलिटी का समवतः सबसे बड़ा हस्तक्षेप बनाएगा। स्टेट डाटा सेण्टर में हार्डवेयर के लिए BELTRON को सौंपा जा चुका है।

9. **Asian Development Bank (ADB)** द्वारा **Bihar Urban Development Project** तैयार करने हेतु तकनीकी सहायता देने का सैद्धान्तिक निर्णय लिया जा चुका है। कुल 200 मिलियन डालर अर्थात् ₹ 106000.00 लाख (दस सौ साठ करोड़ ₹0 मात्र) का ऋण प्रस्तावित है तथा ऋण **MFF (Multi Trance Financing Facility)** के अन्तर्गत लिया जायेगा। सम्प्रति भागलपुर जल आपूर्ति योजना का कार्य इसके द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। भागलपुर जलापूर्ति योजना

का अनुमानित लागत व्यय 93 मिलियन डालर अर्थात ₹ 49300.00 लाख है, जिसमें 70 प्रतिशत ADB से ऋण के रूप में एवं 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु चार वर्षों की अवधि निर्धारित है।

अधिनियम व नियमावली निर्माण

इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों व नागरिकों हेतु महत्वपूर्ण विधायी कार्यों का सम्पादन भी किया गया है।

- बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012
- बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका, संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) विधेयक, 2012
- बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012
- नगरपालिका कर एवं गैर कर वसूली विनियमन, 2012 प्रक्रियाधीन है।
- बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली) नियमावली, 2013 प्रक्रियाधीन है।
- बिहार सम्पत्ति कर बोर्ड नियमावली, 2013 प्रक्रियाधीन है।
- बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामूहिक भागीदारी) नियमावली, 2013 प्रक्रियाधीन है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के प्रमुख प्रस्तावित कार्यक्रम

- बी० पी० एल० सर्वे का पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है।
- पटना में आधुनिक क्वेशलरा के निर्माण हेतु स्थल का चयन किया गया है।
- नगर सेवा पोर्टल का शुभारम्भ किया जा चुका है।
- सिटीजन चार्टर का निर्माण हो चुका है।
- स्वयं टैक्स एसेसमेंट का शुभारम्भ हो चुका है।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को गठन जून 2009 में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा कराया गया। राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का अभाव एवं उनके विकास में हो रहे विलंब को दूर करने हेतु इस संस्था का गठन किया गया। इस संस्था के गठन का एकमात्र उद्देश्य शहरी क्षेत्र में आधुनिक मापदंडों के आधार पर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है। गठन के पश्चात बुडको लगातार अपने उद्देश्य के प्रति कटिबद्ध है।

- 2- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा JnNURM, UIDSSMT, NGRBA तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी बुडको को प्रथम चरण में सौंपी गयी। इन योजनाओं के तहत कुछेक शहरों में टोस अपशिष्ट प्रबंधन, 24X7 जलापूर्ति, सिवरेज नेटवर्क एवं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पी० सी० सी० सड़क-सह-नाला निर्माण, बरसाती नाला तथा पटना शहर में पार्कों के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। सभी योजनाओं में कार्य प्रगति पर है तथा मार्च 2014 तक इन्हें पूरा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर 1836.82 करोड़ रुपये व्यय संग्रहित है। बुडको निर्धारित अवधि के तहत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत प्रयत्नशील है। निर्माणाधीन योजनाओं की सूची निम्नवत है-

JnNURM योजना			
क्र.	योजना का नाम	लागत (रु० करोड़ में)	परियोजना समाप्ति की तिथि
1	दानापुर, खगौल, फुलवारी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना	11.55	पूर्ण
2	खगौल जलापूर्ति योजना	13.15	सितम्बर, 2013
3	दानापुर जलापूर्ति योजना	68.96	मार्च, 2014
4	फुलवारीशरीफ जलापूर्ति योजना	24.70	सितम्बर, 2013
5	बोधगया जलापूर्ति योजना	33.55	मार्च, 2013
6	बोधगया सिवरेज योजना	95.94	दिसम्बर, 2013
7	पटना जलापूर्ति योजना	426.98	मार्च, 2014
8	पटना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना	36.95	मार्च, 2014
	कुल-	711.78	
UIDSSMT योजनाओं की सूची			
क्र.	योजना का नाम	लागत (रु० करोड़ में)	परियोजना समाप्ति की तिथि
1	आरा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना	9.83	पूर्ण
2	मुजफ्फरपुर जलापूर्ति योजना	98.72	दिसम्बर, 2013
3	बख्तियारपुर सड़क सह नाला निर्माण	5.11	पूर्ण
4	मुरलीगंज सड़क सह नाला निर्माण	11.44	मार्च, 2013
5	रोसड़ा सड़क सह नाला निर्माण	29.21	अप्रैल, 2013
6	नरकटियागंज सड़क सह नाला निर्माण	47.13	अप्रैल, 2013
	कुल-	201.44	

NGRBA योजनाओं की सूची			
क्र.	योजना का नाम	लागत (रु० करोड़ में)	परियोजना समाप्ति की तिथि
1	हाजीपुर सिवरेज योजना	113.62	दिसम्बर, 2013
2	वेगूसराय सिवरेज योजना	65.40	दिसम्बर, 2013
3	बक्सर सिवरेज योजना	74.95	दिसम्बर, 2013
4	मुंगेर सिवरेज योजना	187.89	मार्च, 2014
5	पटना गंगा तट का विकास	262.73	मार्च, 2015
	कुल-	704.59	
राज्य सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त योजना			
क्र.	योजना का नाम	लागत (रु० करोड़ में)	परियोजना समाप्ति की तिथि
1	राजगीर सिवरेज योजना	77.67	सितम्बर, 2013
2	राजगीर ड्रेनेज योजना		मार्च, 2013
3	नूरानीबाग, पटना पार्क का विकास	0.80	पूर्ण
4	शास्त्रीनगर, ककडबाग, अनीशाबाद पार्क का विकास	2.20	मार्च, 2013
5	बुद्ध स्मृति पार्क	130.94	पूर्ण
6	शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क	1.99	मार्च, 2013
7	इंझारपुर जलापूर्ति योजना।	4.43	मार्च, 2014
8	नौबतपुर जलापूर्ति योजना।	0.98	मार्च, 2014
	कुल-	219.01	
	कुल योग-	1836.82	

इन योजनाओं के पूरा किये जाने के फलस्वरूप संबंधित शहरों में राष्ट्रीय मापदंड के आधार पर 24X7 जलापूर्ति की व्यवस्था, सिवरेज सिस्टम एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण से शहर की सफाई एवं hygienic स्थिति में सुधार तथा निस्तारित जल का वैकल्पिक उपयोग हो पायेगा। साथ ही पटना में पार्को के निर्माण से शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है। शहरों में पीओसीओसी रोड एवं नाला के निर्माण से आम जनता को शहर क्षेत्र में यातायात में सुविधा एवं वर्षा ऋतु में जल-जमाव से निजात मिलेगी।

JnNURM Phase-I के तहत डीपीओआर तैयार करने में विलम्ब होने की वजह से भारत सरकार से अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अनुदान की राशि नहीं मिल पायी। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के 59 शहरों, जिसके तहत विभिन्न नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत शामिल हैं, में राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज सिस्टम एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बरसाती नाला प्रणाली तथा मास्टर प्लान इत्यादि के लिए डीपीओआर तैयार कराने हेतु परामर्शी फर्मों के चयन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। डीपीओआर की समीक्षा एवं उसकी स्वीकृति वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं से प्राप्त करने हेतु DPR Review Cell के लिए परामर्शी फर्म का चयन किया जा चुका है। बुडको का यह प्रयास है कि राज्य के अधिकतम शहरी क्षेत्रों के लिए भारत सरकार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुदान/ऋण प्राप्त कर मूल आधारभूत संरचनाओं का विकास का कार्यान्वयन शुरू किया जाय।

बुडको के सतत प्रयास से ऐसी आशा की जा सकती है कि शहरों के समेकित विकास से अधिकांश शहर अगले पांच वर्षों में लामान्वित हो जायेंगे।